

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/ चैत्र 3, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 435
No. 123]	DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939	[N.C.T.D. No. 435

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग 'शाखा-4'

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सं. फा. 6(1)/2012/कोर्ट केसिस/एस-IV/422.—दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1967 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 4 के उप खण्ड (1) के साथ पठित नियम 2 के खंड (ज) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में तथा माननीय विशेष पीठ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली के ओ. ए. संख्या 1660/2012 के निदेशों के अनुसरण में दिल्ली के उप राज्यपाल, शहरी विकास विभाग में सहायक परियोजना अधिकारी के सोलह स्थाई पदों को जिनका वेतनमान 5500-9000 रुपये है, को दास नियमावली, 1967 की अनुसूची I में ग्रेड - II के नोशनली "ड्यूटी पदों" के रूप में 16 अप्रैल, 2007 से घोषित करते हैं, जिन्हें पहले 12 दिसम्बर, 2008 को दास (ग्रेड- II) सेवाओं के कैडर शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अनूप ठाकुर, उप सचिव (सेवाएं)

टिप्पण : मूल नियमावली दिनांक 10.2.1967 के अधिसूचना सं. फा. 3(16)/66-सेवाएं (सी) द्वारा अधिसूचित की गई थी तथा परवर्ती समय-समय पर संशोधित। उक्त विषय पर प्रकाशित पूर्ववर्ती अधिसूचना दिनांक 12.12.2008 की अधिसूचना सं. फा. 2(16)/99-से.- III/पार्ट फाइल/1550-1556 द्वारा अधिसूचित हुई थी।

SERVICES DEPARTMENT-BRANCH-IV**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th March, 2017

No. F. 6(1)/2012/Court Cases/S-IV/422.—In pursuance of the provisions contained in Clause (h) of Rule 2, read with sub-clause (1) of Rule 4 of the Delhi Administration Subordinate Service Rule, 1967 (as amended from time to time) and in pursuance to direction of Hon'ble Special Bench, Central Administrative Tribunal, Delhi in O.A. No. 1660/2012, the Lt. Governor of Delhi is pleased to declare the sixteen permanent posts of Assistant Project Officer, in Urban Development Department in the pay scale of Rs. 5500-9000 as 'duty posts' of Gr.II in Sechedule I of the DASS Rules, 1967, notionally with effect from 16th April, 2007, who had earlier been encadred in DASS(Gr.II) Services on 12th December, 2008.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

ANOOP THAKUR, Dy. Secy. (Services)

Note : The principal rules were published vide Notification No.F.3(16)/66-Services (C) dated 10.02.1967 and subsequently amended from time to time. The previous notification published on the subject was notified vide notification No.F.2(16)/99-S.III/Pt.file/1550-1556 dated 12.12.2008.